

कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा
स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग. वेबसाईट - www.cgdmc.in

क्रमांक / 8588 / संचिशि / नर्सिंग-छात्र / 2025

रायपुर, दिनांक /

07 OCT 2025

वर्ष 2025 पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक नर्सिंग (Post Basic Diploma in Psychiatric Nursing) एक वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन सूचना

प्रवेश वर्ष 2025 में प्रदेश के शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, रायपुर में संचालित डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक नर्सिंग (Post Basic Diploma in Psychiatric Nursing) एक वर्षीय पाठ्यक्रम, में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन निम्न समय-सारिणी अनुसार आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	ऑनलाईन आवेदन शुल्क	अनारक्षित (UR) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) - राशि रु. 1000/- अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) - राशि रु. 500/-
2	ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने पर संशोधन शुल्क (Edit Fee) का भुगतान, कर संशोधन (Edit) किया जा सकता है (आवेदन की अंतिम तिथि तक)	राशि रु. 1000/- (रु. एक हजार मात्र)
3	ऑनलाईन आवेदन - प्रारंभ तिथि	दिनांक 09.10.2025, दोपहर 12:00 बजे (12:00 Hrs) से
4	ऑनलाईन आवेदन - अंतिम तिथि	दिनांक 14.10.2025 सायं 05:00 बजे (17:00 Hrs) तक

काउंसिलिंग, आबंटन एवं प्रवेश संबंधित समस्त जानकारी संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट www.cgdmc.in में उपलब्ध कराई जायेगी। आवेदक वेबसाईट www.cgdmc.in का नियमित अवलोकन कर, जानकारी प्राप्त करें।

ऑनलाईन पंजीयन आवश्यक जानकारी:-

- (1) ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 एवं संशोधन दिनांक 02 फरवरी, 2022 का पूर्णतः अध्ययन करके ही प्रक्रिया में सम्मिलित हों, विशेषकर आरक्षण/काउंसिलिंग प्रक्रिया/बॉण्ड इत्यादि।
- (2) ऑनलाईन आवेदन के साथ ही संस्था का चयन भी करे, क्योंकि संस्था चयन (Choice) हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- (3) यदि ऑनलाईन आवेदन पूर्ण करने के बाद Lock & Submit भी कर चुके हैं, तथा ऑनलाईन आवेदन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो, परिवर्तन हेतु एडीट (Edit) शुल्क रु. 1000/- (रु. एक हजार मात्र) जमा कर, ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक परिवर्तन कर सकेंगे। आवेदन में Edit Option का लाभ लेने पर भी आपके द्वारा दिये गये ई-मेल एवं मोबाइल नं. अपरिवर्तनीय होगा।
- (4) स्कूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया हेतु छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 के नियम 9 (बीस) का दस्तावेज सूची का अवलोकन करें तथा ऑन-लाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखें (देखें : छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 नियम 9 (बीस))।
- (5) ऑनलाईन आवेदन में कोई भी त्रुटि (जैसे :- अपूर्ण आवेदन/पंजीयन फीस का गेटवे (Bank Gateway) से जमा न होना इत्यादि) होने पर आप अपात्र हो जाते हैं। अतः ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से 24 घण्टे पूर्व कार्यवाही पूर्ण करना एक सुरक्षित प्रक्रिया है।
- (6) शुल्क जमा हेतु Credit Cards / Internet Banking / Debit Card/UPI ही मान्य होंगे तथा अतिरिक्त शुल्क जमा होने पर रिफण्ड जमाकर्ता खाते में ही वापस किया जा सकेगा। किसी अन्य खाते में स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।
- (7) प्रथम काउंसिलिंग में आबंटित अभ्यर्थियों को संवीक्षा कराना एवं पात्र होना आवश्यक है तथा शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा अन्यथा अपात्र हो जायेंगे (देखें : छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 के नियम 9 (नौ))।
- (8) ऑनलाईन आवेदन पश्चात् आगामी कार्यवाही हेतु काउंसिलिंग शेड्यूल (Counselling Schedule) का अवलोकन करें।

निरंतर //2//

//2//

नोट :-

- 1/ उपरोक्त सूचना में नियम की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई किन्तु सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया नियम हेतु "छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 एवं संशोधन दिनांक 31 जनवरी, 2022 (02 फरवरी, 2022)" का अवलोकन करें।
- 2/ काउंसिलिंग से संबंधित जानकारी हेतु वेबसाइट www.cgdme.in का नियमित अवलोकन करें।
- 3/ आवेदन में Edit Option का लाभ लेने पर भी आपके द्वारा दिये गये ई-मेल एवं मोबाईल नं. अपरिवर्तनीय होगा।
- 4/ आवेदन शुल्क का भुगतान अंतिम तिथि से कम से कम 36 घण्टे पूर्व कर दें, चूंकि बैंक गेटवे इत्यादि संबंधित जटिलताओं से कई बार ऑनलाईन किये गये भुगतान का क्लीयरेंस (clearance) 24 घण्टे ले लेता है। अन्यथा समय-सीमा में आवेदन करने हेतु दो बार ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करना पड़ता है, यद्यपि अतिरिक्त पंजीयन शुल्क यदि उपरोक्त उल्लेखित जटिलताओं के कारण जमा हो जाता है तो, यह राशि वापसी योग्य है।
- 5/ सभी निजी नर्सिंग महाविद्यालय का आबंटन भी संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। अतः प्रवेश संबंधित कार्यवाही हेतु किसी व्यक्ति/संस्था के धोखे में नहीं फंसे।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


(श्री खेमलक्ष्मी वनी)
अध्यक्ष काउंसिलिंग समिति (नर्सिंग पाठ्यक्रम)
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

INFORMATION BULLETIN
FOR COUNSELLING OF
Nursing - (MSC Nursing/ BSC
Nursing /POST BASIC BSC
Nursing/ DIPLOMA IN
PSYCHIATRIC Nursing)
Chhattisgarh State Quota /
Management Quota / Minority Seats-
2025

सामान्य जानकारी

नर्सिंग के विभिन्न पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता, विभिन्न प्रोफार्मा और बॉण्ड के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संचालनालय चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़ की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किये गये छत्तीसगढ़ के राजपत्र को पढ़ें।

सीटों के आबंटन के लिए काउंसिलिंग प्रक्रिया के में भाग लेने के लिए योग्य और पात्र अभ्यर्थियों को CGDME काउंसिलिंग की अधिकारिक वेबसाइट www.cgdme.in में पंजीकरण करना अनिवार्य है CGDME किसी भी सीट का आबंटन नामांकन एवं सिफारिश के आधार पर नहीं करते हैं नर्सिंग से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आबंटन की प्रक्रिया CGDME द्वारा की जाती है अतः प्रवेश हेतु किसी निजी व्यक्ति के धोखे में आने से बचे।

वर्ष 2025 में CGDME छत्तीसगढ़ राज्य के लिए शासकीय और निजी कॉलेजों की सीटों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग आयोजित करेगा जिसमें राज्य नियतांश (स्टेट कोटा), प्रबंधन नियतांश (मेनेजमेंट कोटा) एवं अल्प संख्यक नियतांश (मायनॉरिटी कोटा) शामिल है।

1. काउंसिलिंग प्रक्रिया में आवेदन/ पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह माना जाएगा कि उनके द्वारा CGDME द्वारा आयोजित नर्सिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए की जाने वाली विभिन्न प्रक्रिया/ नियमों एवं शर्तों को भलीभांति पढ़ लिया गया है, जिससे वे सहमत हैं एवं उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है
2. नर्सिंग के विभिन्न पाठ्यक्रम हेतु काउंसिलिंग के लिए आवेदन केवल CGDME काउंसिलिंग की अधिकारिक वेबसाइट www.cgdme.in के माध्यम से ऑनलाईन जमा किया जा सकता है किसी और माध्यम से जमा की गई आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे CGDME काउंसिलिंग वेबसाइट पर स्वयं आवेदन पत्र भरें, किसी एजेंट या तीसरे पक्ष के माध्यम से नहीं, क्योंकि उत्पन्न होने वाली किसी भी विसंगति पर CGDME द्वारा विचार नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
4. एक अभ्यर्थी नर्सिंग पाठ्यक्रम बी. एस. सी./पोस्ट बेसिक बी. एस. सी./एम. एस. सी./डिप्लोमा इन साइकिट्रिक नर्सिंग के लिए आवेदन/ पंजीकरण फॉर्म केवल एक बार जमा कर सकता है।
5. अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि नर्सिंग पाठ्यक्रम बी. एस. सी./पोस्ट बेसिक बी. एस. सी./एम. एस. सी./डिप्लोमा इन साइकिट्रिक नर्सिंग 2025 में काउंसिलिंग के लिए पंजीकरण करने मात्र से स्नातक/ स्नातकोत्तर सीट मिल जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता अभ्यर्थियों को भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम 1947, सी.जी उपचारिका, प्रशस्तिका, सहाय उपचारिका प्रस्ताविका तथा स्वास्थ्य परिदर्शक पंजीकरण अधिनियम, 1972 के अनुसार भारतीय उपचर्या परिषद्, छत्तीसगढ़ नर्सिंग पंजीकरण परिषद्, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेज में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में चयन एवं प्रवेश दी जाती है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये योग्यता संबंधी दिशा निर्देश लागू किये जाते हैं।
6. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन/ पंजीकरण फॉर्म ऑनलाईन जमा करते समय भरी गयी सभी जानकारी सही और तथ्यात्मक है। ऑनलाईन आवेदन/ पंजीकरण फॉर्म में अभ्यर्थियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सही और स्वप्रमाणित माना जायेगा और CGDME

किसी भी परिस्थिति में प्रदान की गई जानकारी में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

7. CGDME या काउंसिलिंग समिति 2025 आवेदन/ पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन जमा करने के समय अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज की गई किसी भी जानकारी (नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, राष्ट्रीयता, संपर्क विवरण आदि) में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/ संशोधन नहीं करती है। अभ्यर्थियों द्वारा व्यापम पोर्टल पर पंजीकरण के समय दी गई जानकारी का उपयोग CGDME द्वारा काउंसिलिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जायेगा।
8. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों के चयन करने के पूर्व अपनी पात्रता एवं निवास स्थिति (डोमिसाइल स्टेटस) सुनिश्चित कर लें।
9. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे महाविद्यालयों विशेषकर निजी महाविद्यालयों से शुल्क संरचना/ अन्य किसी अतिरिक्त शुल्क की जाँच एवं पुष्टि कर लें।
10. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे काउंसिलिंग से संबंधित समय सारिणी/ परिणाम/ सूचना/ समाचार/ अपडेट के लिये CGDME काउंसिलिंग वेबसाइट www.cgdme.in का निरंतर अवलोकन करते रहें। CGDME व्यक्तिगत रूप से किसी भी अभ्यर्थी से संपर्क नहीं करेगा।
11. काउंसिलिंग से संबंधित न्यायालयीन मामले का न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर होगा।
12. ऑनलाइन काउंसिलिंग शुल्क के रूप में अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु राशि रुपये 1000/- (रु. एक हजार मात्र) तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति हेतु रुपये 500/- (रु. पांच सौ मात्र) संचालक चिकित्सा शिक्षा को देय होगी।
यदि राज्य के ऑनलाइन आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है तो ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि के पूर्व संशोधन शुल्क रु. 1000/- जमा कर संशोधन कर सकेंगे। किन्तु निर्धारित समयावधि उपरांत किसी भी प्रकार का परिवर्तन कार्यालय द्वारा नहीं किया जा सकेगा। यद्यपि निर्धारित समयावधि में संशोधन शुल्क जमा कर आवेदक ही परिवर्तन कर सकेंगे।
13. सभी प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से किये जायेंगे वे इच्छानुसार अद्यतन ईमेल एवं मोबाईल नंबर अंकित कर सकते हैं तथा ओटीपी केवल संबंधित ईमेल आईडी एवं मोबाईल नंबर पर पहुंचेंगे। साथ ही अभ्यर्थियों को आबंटन पत्र CGDME के वेबसाइट के डाउनलोड करना होगा।
14. किसी भी तकनीकी जटिलता से बचने के लिए अभ्यर्थी को पंजीकरण एवं विकल्प भरने के दौरान क्रोम/इंटरनेट एक्सप्लोरर/ फायरफॉक्स/विंडोज/आईओएस के नवीनतम पंजीकृत संस्करण के साथ लैपटॉप या कंप्यूटर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

महत्वपूर्ण निर्देश:-

1. ऑनलाइन आवेदन एवं पंजीयन की प्रक्रिया मात्र प्रथम काउंसिलिंग के पूर्व उपलब्ध होगी। प्रवेश के इच्छुक सभी पात्र अभ्यर्थियों को इस आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर, पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यदि इन पंजीकृत आवेदकों के काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के उपरान्त भी यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो संचालक के निर्णयानुसार नया पंजीयन कराया जा सकेगा।
2. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर, काउंसिलिंग हेतु पंजीयन करने की अंतिम तिथि तक जो आवेदक पंजीयन कराने में असफल होंगे, वे काउंसिलिंग हेतु स्वयमेव अपात्र हो जायेंगे।
3. आवेदन/पंजीयन के समय आवश्यक दस्तावेज जैसे स्थायी जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग/सैनिक/स्वतंत्रता सेनानी, ओबीसी गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र,

- दसवीं की अंकसूची/ जन्मप्रमाण पत्र, बारहवीं की अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, माइग्रेसन प्रमाण पत्र आदि तैयार रखें।
4. शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी के लिए आरक्षित किसी सीट के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी द्वारा काउंसिलिंग के समय आबंटन से पूर्व स्कूटनी में राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे।
 5. CGDME द्वारा आबंटन उपरांत संबंधित महाविद्यालय द्वारा दस्तावेजों की संवीक्षा करायी जायेगी। जिसमें पात्र अभ्यर्थी ही प्रवेश योग्य होंगे तथा संवीक्षा करने वाले महाविद्यालय/विद्यालय दस्तावेजों की न्यूनता में, यदि अपात्र अभ्यर्थी को पात्र कर, प्रवेश देते हैं, तो विश्वविद्यालय/परिषद पंजीयन/नामांकन हेतु अथवा न्यायालयीन प्रकरण हेतु स्वयं जिम्मेदार होंगे। CGDME कार्यालय का इस प्रकार के अवैध संवीक्षा एवं अवैध प्रवेश से कोई संबंध नहीं होगा।
 6. आबंटन होने के पश्चात, अभ्यर्थियों को आबंटित संस्था में आबंटन पत्र में उल्लेखित प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों की संवीक्षा कराना अनिवार्य होगा। आबंटन पश्चात संस्था में संवीक्षा हेतु उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी चालू शैक्षणिक सत्र में काउंसिलिंग व प्रवेश प्रक्रिया से स्वयमेव बाहर हो जायेगा।
 - 7- शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, किन्तु निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य नहीं होगा अपितु, सभी आबंटित अभ्यर्थियों को संवीक्षा करवाना तथा संवीक्षा में पात्र होना अनिवार्य है। तथापि आबंटित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।
 - 8- दस्तावेजों की संवीक्षा में अर्ह होने पर अभ्यर्थी आबंटित शासकीय नर्सिंग संस्था में प्रवेश लेकर काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प दे सकेंगे। जबकि शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय के अतिरिक्त आबंटित निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय तथा संवीक्षा में पात्र अभ्यर्थी बिना संस्था प्रवेश लिए द्वितीय काउंसिलिंग में बने रहने का विकल्प दे सकेंगे।
 9. काउंसिलिंग या आबंटन प्रक्रिया की किसी भी चरण में समान विषय एवं समान संस्था की सीट अभ्यर्थी को एक बार आबंटन होने के पश्चात् पुनः दोबारा समान विषय एवं समान संस्था की सीट आबंटित नहीं की जायेगी।
 10. छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 के अनुसार राज्य शासन के अधीन शासकीय नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी हेतु बंध पत्र एवं प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् नर्सिंग पाठ्यक्रम के मध्य अवधि में सीट परित्याग करने हेतु अर्थदण्ड बंधपत्र लागू होंगे।

प्रथम चरण की काउंसिलिंग

1. सर्वप्रथम काउंसिलिंग के लिए मूल भूत आवश्यक जानकारी के साथ पंजीकरण किया जायेगा जिसमें गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क शामिल होगा।
2. अभ्यर्थियों द्वारा चाही गई सीट एवं महाविद्यालयों के चयन के लिए विकल्प दिया जायेगा जिसमें वे अपनी वरीयता अनुसार विकल्प चयन कर सकेंगे।
3. विकल्प चयन करने के पश्चात् अभ्यर्थियों को अपनी वरीयता क्रम को लॉक करना होगा जिसके आधार पर ही आबंटन की कार्यवाही की जायेगी। लॉक न करने की स्थिति में पंजीयन की अंतिम तिथि में स्वमेव लॉक हो जायेगा।
4. अभ्यर्थी पूर्व में चयन किये गये विकल्पों को निर्धारित समय के भीतर, असीमित समय के लिये एडिट शुल्क के साथ अनलॉक कर परिवर्तित कर सकेंगे।
5. अभ्यर्थियों द्वारा दिये गए विकल्पों एवं मेरिट सूची अनुसार प्रथम चरण के आबंटन परिणाम प्रकाशित किये जायेंगे।
6. शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में आबंटन की स्थिति में—
 - (अ) शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य है प्रवेश न लेने की स्थिति में अभ्यर्थी काउंसिलिंग की समस्त प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।
 - (ब) संबंधित संस्था में आबंटित अभ्यर्थी को स्वयं भौतिक रूप से उपस्थित होकर दस्तावेजों की संविक्षा करानी होगी संविक्षा में पात्र होने पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा जो अभ्यर्थी द्वितीय चरण में भाग लेना चाहते हैं उन्हें पोर्टल में अपग्रेड का विकल्प चयन करना होगा। प्रथम चरण में आबंटित संस्था एवं विषय द्वितीय चरण में आबंटित नहीं किये जायेंगे।
7. निजी नर्सिंग महाविद्यालय में आबंटन की स्थिति में—
 - (i) निजी महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य नहीं है अपितु दस्तावेज संविक्षा कराना अनिवार्य है संविक्षा न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी काउंसिलिंग की समस्त प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।
 - (ii) संबंधित संस्था में आबंटित अभ्यर्थी को स्वयं भौतिक रूप से उपस्थित होकर दस्तावेजों की संविक्षा करानी होगी।
 - (अ) निजी महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक— संविक्षा में पात्र होने पर निर्धारित शुल्क भुगतान कर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। जो अभ्यर्थी द्वितीय चरण में भाग लेना चाहते हैं उन्हें पोर्टल में अपग्रेड का विकल्प चयन करना होगा। प्रथम चरण में आबंटित संस्था एवं विषय द्वितीय चरण में आबंटित नहीं किये जायेंगे।
 - (ब) निजी महाविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक नहीं— संविक्षा में पात्र होकर बिना प्रवेश लिये द्वितीय काउंसिलिंग में स्वमेव शामिल होंगे प्रथम चरण में आबंटित संस्था एवं विषय द्वितीय चरण में आबंटित नहीं किये जायेंगे।

द्वितीय चरण की काउंसिलिंग

1. प्रथम काउंसिलिंग पश्चात् रिक्त सीटों में अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दिये गये विकल्पों एवं मेरिट सूची अनुसार आबंटन परिणाम जारी किया जायेगा।
2. द्वितीय चरण में अपग्रेडेशन विकल्प उपलब्ध नहीं है शेष प्रक्रिया प्रथम चरण की काउंसिलिंग के समान होगी।

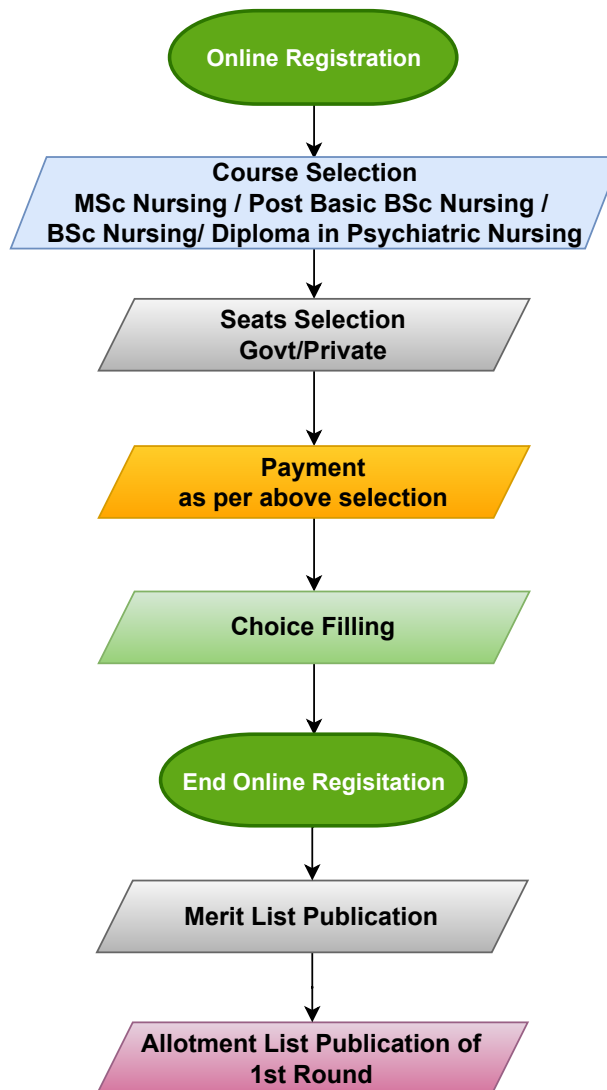
मॉप-अप राउण्ड की काउंसिलिंग

1. अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में दिये गये विकल्प शून्य कर दी जायेगी एवं मॉप-अप राउण्ड में अभ्यर्थियों को नया विकल्प चयन करना होगा जिन अभ्यर्थियों द्वारा विकल्प चयन नहीं किया जायेगा उन्हें मॉप-अप राउण्ड में किसी प्रकार का संस्था का आबंटन नहीं होगा तथा अपितु उन्हें पुनः स्ट्रे राउण्ड में अवसर दिया जायेगा।
2. द्वितीय काउंसिलिंग पश्चात् रिक्त सीटों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये विकल्पों एवं मेरिट सूची अनुसार आबंटन परिणाम जारी किया जायेगा।
3. मॉप-अप चरण में अपग्रेडेशन विकल्प उपलब्ध नहीं है शेष प्रक्रिया प्रथम चरण की काउंसिलिंग के समान होगी।
4. मॉप-अप राउण्ड में आबंटित सभी अभ्यर्थी काउंसिलिंग के अग्रिम चरण के लिए अपात्र हो जायेंगे।

स्ट्रे राउण्ड काउंसिलिंग

1. मॉप-अप राउण्ड पश्चात् रिक्त सीटें होने पर नियमानुसार स्ट्रे राउण्ड काउंसिलिंग कराये जायेंगे।

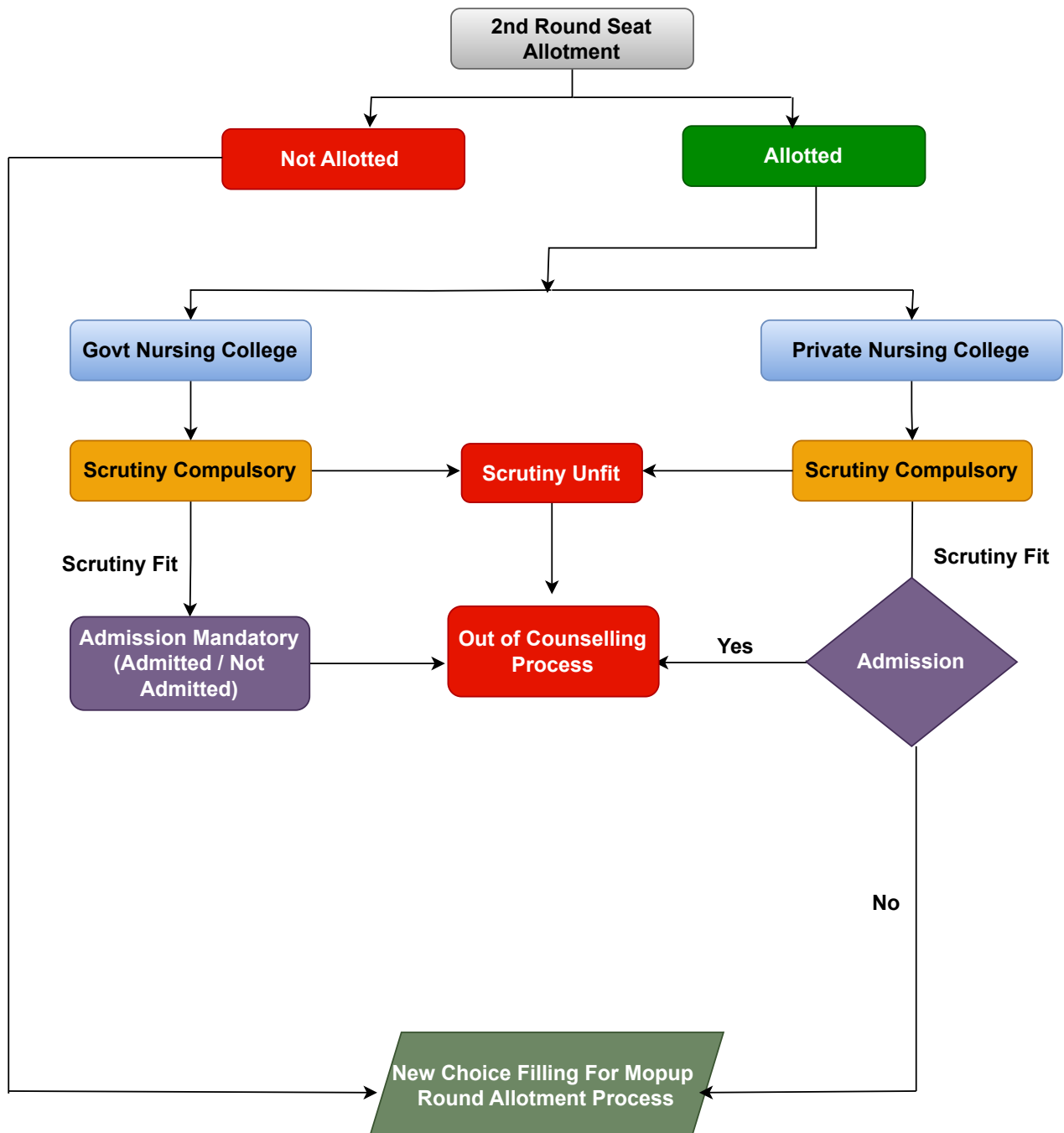
CG State Nursing Adm. Yr. 2025 Counselling Procedure



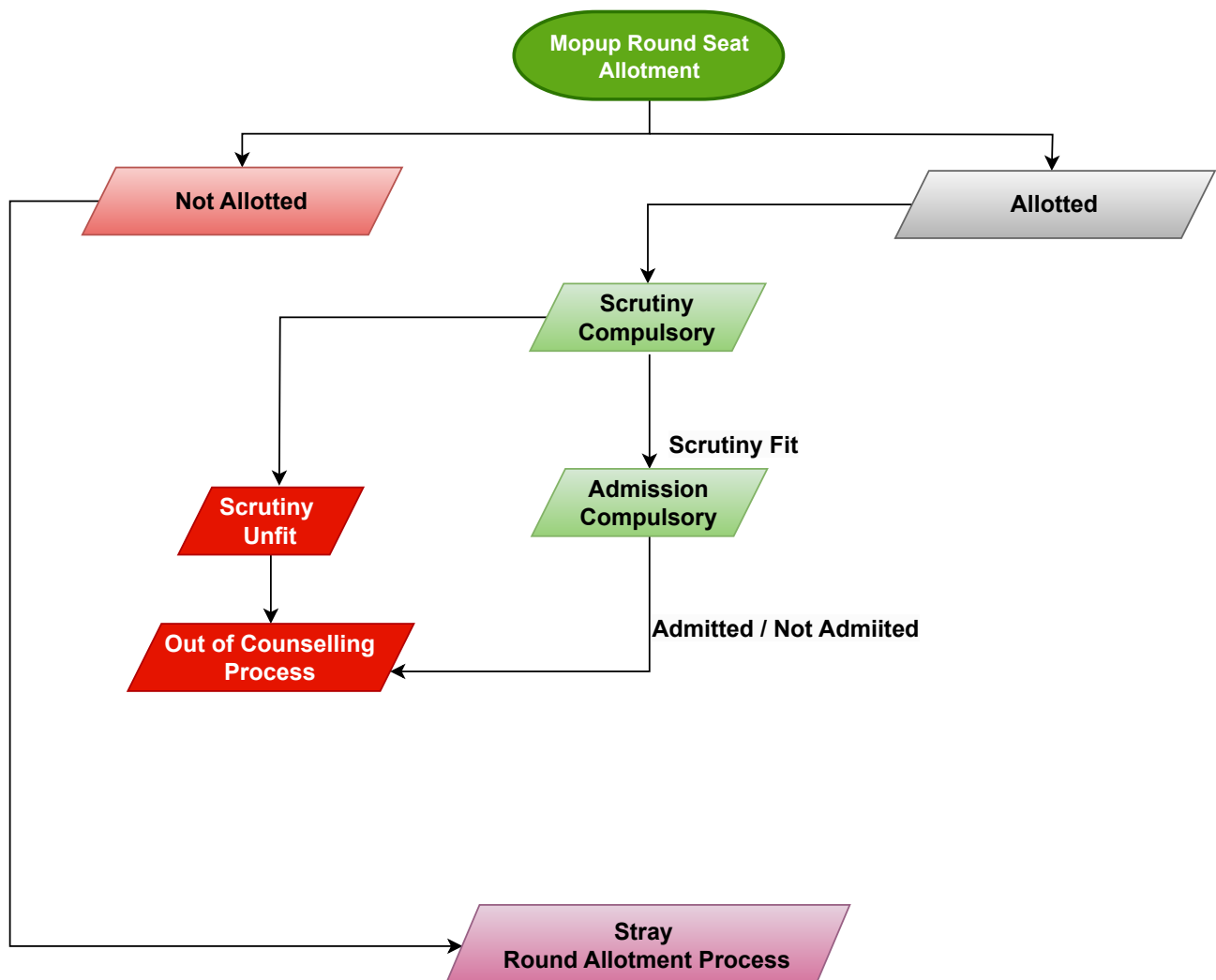
CG State Nursing Adm. Yr. 2025 Counselling Procedure



CG State Nursing Adm. Yr. 2025 Counselling Procedure

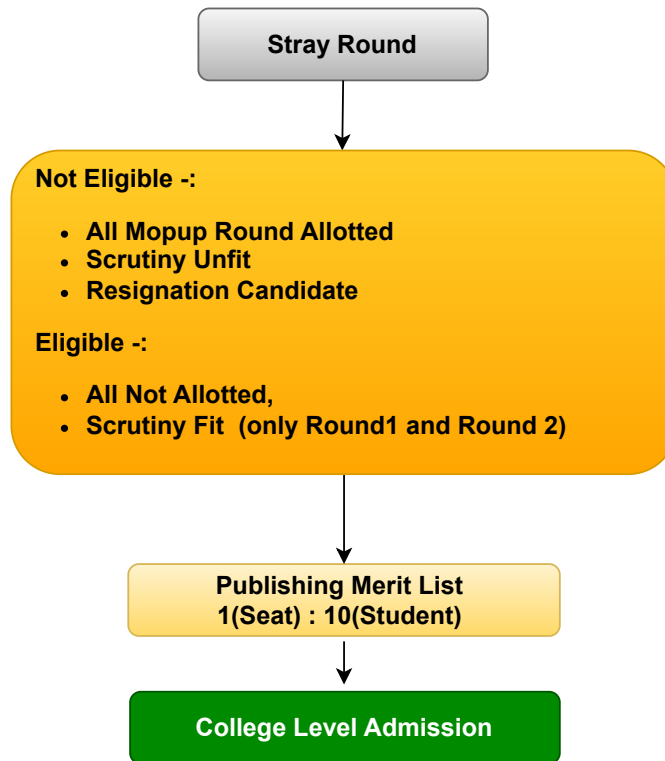


CG State Nursing Adm. Yr. 2025 Counselling Procedure



CG State Nursing Adm. Yr. 2025 Counselling Procedure

Type your text



“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 मई 2019 — वैशाख 17, शक 1941

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 26 अप्रैल 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-01/2019/नौ/55-4.— राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय नर्सिंग विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की समस्त सीटें तथा निजी नर्सिंग विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश एवं ओपन (मैनेजमेंट) नियतांश की सीटों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.—

- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019 कहलाएंगे।
- (2) प्रदेश के समस्त शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त तथा गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय एवं महाविद्यालय के नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश इन नियमों के आधार पर दिया जायेगा।
- (3) यह नियम तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,—

- (क) “राज्य शासन” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
- (ख) “श्रेणी” से अभिप्रेत है इन चारों श्रेणियों में से कोई एक, अर्थात् — ‘अनुसूचित जाति’, ‘अनुसूचित जनजाति’, ‘अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)’ तथा ‘अनारक्षित’;
- (ग) “संवर्ग” से अभिप्रेत है महिला, सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं दिव्यांग;
- (घ) “बिना संवर्ग” से अभिप्रेत है जो किसी भी संवर्ग के अंतर्गत न हो;
- (ङ) “प्रवेश परीक्षा” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य के नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इन नियमों के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
- (च) “संचालक” से अभिप्रेत है संचालक, चिकित्सा शिक्षा/स्वास्थ्य सेवाएँ छत्तीसगढ़;

- (छ) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है राज्य शासन के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ में स्थित नर्सिंग महाविद्यालय, जिसे प्रवेश परीक्षा के वर्ष में उपचर्या परिषद से मान्यता तथा प्रवेश हेतु अनुमति तथा पं० दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर से सम्बद्धता प्राप्त हो;
- (ज) "विद्यालय" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ में स्थित जनरल नर्सिंग विद्यालय, जिसे प्रवेश परीक्षा के वर्ष में उपचर्या परिषद से मान्यता तथा प्रवेश हेतु अनुमति प्राप्त नर्सिंग कौंसिल से परीक्षा हेतु सम्बद्धता प्राप्त की हो;
- (झ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है पं० दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़;
- (ञ) "शासकीय अनुदान प्राप्त निजी नर्सिंग महाविद्यालय" से अभिप्रेत है ऐसा निजी नर्सिंग महाविद्यालय जिसने चल सम्पत्ति, अचल संपत्ति, शासकीय अस्पताल अथवा अन्य शासकीय संपत्ति के उपयोग का अधिकार अथवा आर्थिक सहायता आदि के रूप में राज्य शासन से कोई भी सहायता प्राप्त की हो;
- (ट) "अल्पसंख्यक संस्था" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यकों द्वारा राज्य में संचालित तथा ऐसी शर्तों के अधीन मान्यता प्रदत्त अथवा अधिसूचित हो, जो राज्य शासन द्वारा निर्धारित हो;
- (ठ) "दिव्यांगजन" संवर्ग से अभिप्रेत है ऐसा स्थायी दिव्यांगजन, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 का (द), (ध) एवं (न) के अधीन परिभाषित शारीरिक रूप से निःशक्त की श्रेणी में आता हो, किन्तु जो भारतीय चिकित्सा परिषद/भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा एम.बी.बी. एस./बी.डी.एस. में प्रवेश के लिए अयोग्य नहीं माना गया हो (योग्यता हेतु प्रमाणीकरण – अनुसूची –चार);
- (ड) "मंडल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर;
- (ढ) 'मूल निवासी' से अभिप्रेत है ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी तथा राज्य शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र का धारक हो;
- (ण) "परिषद" से अभिप्रेत है नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली अथवा छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग कौंसिल;
- (त) "आयुक्त" से अभिप्रेत है आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़;
- (थ) "सेवारत अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/संचालक चिकित्सा शिक्षा विभाग में नियमित अथवा तदर्थ अथवा संविदा रूप से पदस्थ कार्यरत महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) अथवा स्टाफ नर्स जिन्होंने न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण की हो तथा नियमानुसार संबंधित संचालनालय से पाठ्यक्रम हेतु अनुमति/अनापत्ति प्राप्त हो;
- (द) "पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है नर्सिंग के पाठ्यक्रम जी.एन.एम./बी.एस.सी. (नर्सिंग)/ बी.एस.सी. (पोस्ट बेसिक नर्सिंग)/एम.एस.सी. (नर्सिंग) एवं पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्लीनिकल स्पेशलिटी नर्सिंग;
- (ध) "अग्रेषण प्राधिकारी" से अभिप्रेत है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अथवा चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे सेवारत अभ्यर्थी के लिए क्रमशः संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ अथवा संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़।

3. सामान्य.—

- (एक) नर्सिंग के डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा, आवंटन, प्रवेश, भारतीय नर्सिंग परिषद्/विश्वविद्यालय भारत सरकार/राज्य सरकार कॉलेज की स्वायत्त सोसायटी के तत्समय लागू नियमों एवं विनियमों द्वारा शासित एवं विनियमित होंगे;
- (दो) नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश की तिथि से भारतीय नर्सिंग परिषद्/विश्वविद्यालय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पूर्णकालिक अवधि के पाठ्यक्रम होंगे। सम्पूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान विद्यार्थियों को निजी व्यवसाय अंशकालिक अथवा अन्य कोई व्यवसाय करने की अनुमति नहीं रहेगी;

- (तीन) अभ्यर्थियों को यथा आवश्यक सही जानकारी देना एवं प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व वे नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लें और पूर्ण एवं सही आवश्यक जानकारी भरें और यथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, ऐसा न करने की स्थिति में आवेदक प्रवेश परीक्षा, आबंटन एवं प्रवेश आदि के हकदार नहीं होंगे;
- (चार) सीट के आबंटन के समय अथवा दस्तावेजों की जांच के समय अथवा उसके प्रवेश के पूर्व या बाद के किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि आवेदन फार्म भरते एवं प्रवेश के समय अभ्यर्थी ने किसी प्रकार के संबंधित तथ्यों को छुपाया है और/अथवा गलत जानकारी दी है, तो उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय वर्तमान में यथा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत उनके प्रवेश को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा;
- (पांच) प्रत्येक अभ्यर्थी को शासन, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के नियमों और विनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा;
- (छः) शासन द्वारा समय-समय पर संबंधित महाविद्यालयों के लिए जारी किए गए सभी निर्देश लागू होंगे।

4. पात्रता:— केवल उसी अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की पात्रता होगी जो,—

- (एक) भारत का नागरिक हो;
- (दो) छत्तीसगढ़ राज्य का “मूल निवासी” हो, किन्तु निजी नर्सिंग महाविद्यालय की ओपन (प्रबंधन नियतांश) अनारक्षित श्रेणी की सीटों में राज्य के बाहर के अभ्यर्थी भी पात्र होंगे तथा उनकी एवं मूल निवासी अभ्यर्थियों की एकीकृत ;बुउउवदद्ध प्रावीण्य सूची रहेगी।
- (तीन) आयु सीमा :—
- (अ) न्यूनतम आयु—ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा वर्ष के 31 दिसम्बर को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
- (ब) अधिकतम आयु— बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी.एस.सी./एक वर्षीय पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्लीनिकल स्पेशलिटी/एम.एस.सी. के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।
जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी (जीएनएम) पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है।
- (स) सेवारत अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है।

नोट:— आयु गणना हेतु प्रवेश वर्ष के 31 दिसम्बर दिनांक पर आयु गणना मान्य होगी।

स्पष्टीकरण :— 1. इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 17 वर्ष तथा सेवारत अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित है।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।
3. आयु प्रमाणित करने के लिए 10+2 पद्धति से दसवीं या बारहवीं की अंक सूची अथवा जन्म प्रमाण पत्रों में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

- (चार) नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें :—

(भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली/राज्य उपचर्या परिषद के समय-समय पर जारी संशोधित मापदण्ड पाठ्यक्रम अवधि इत्यादि मान्य एवं लागू होंगे।)

(अ) संचालनालय चिकित्सा शिक्षा से संचालित पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम अर्हतायें:-

क्रमांक	नर्सिंग पाठ्यक्रम	अर्हताएं	प्रशिक्षण अवधि	परीक्षा एजेंसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बी.एस.सी. (पोस्ट बेसिक) नियमित	जनरल नर्सिंग मिडवायफरी उत्तीर्ण, राज्य नर्सिंग परिषद में पंजीयन	2 वर्ष	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा / संचालनालय द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जावेगा।
2	पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्लीनिकल स्पेशियलिटी	पंजीकृत नर्स (जी.एन.एम. या बी.एस.सी.)	1 वर्ष	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा कौउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी। बी.एस.सी. नर्सिंग / जी.एन.एम. प्राप्तांकों के आधार पर प्रावीण्य सूची निर्मित की जायेगी तथा जिसमें बी.एस.सी. नर्सिंग को प्राथमिकता दी जायेगी।
3	बी.एस.सी. (बेसिक)	परीक्षा (10+2) बारहवीं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान एवं अंग्रेजी विषयों में उत्तीर्ण तथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीवविज्ञान तीनों विषयों को जोड़कर न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण)	4 वर्ष	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा / संचालनालय द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।
4	एम.एस.सी.	(1) न्यूनतम 55 प्रतिशत एग्रीगेट अंकों के साथ बी.एस.सी.नर्सिंग / बी.एस.सी. ऑनर्स नर्सिंग / पोस्ट बेसिक नर्सिंग उत्तीर्ण (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये 5 प्रतिशत शिथिलनीय) (2) बेसिक बी.एस.सी. उपरांत 1 वर्ष का अनुभव अथवा पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग के पूर्व अथवा पश्चात 1 वर्ष का अनुभव	2 वर्ष	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा / संचालनालय द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

(ब) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम अर्हतायें :-

क्रमांक	नर्सिंग पाठ्यक्रम	अर्हताएं	प्रशिक्षण अवधि	चयन का आधार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी	बारहवीं उत्तीर्ण न्यूनतम 40 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण एवं आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के उम्मीदवारों के लिये 35 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण	3 वर्ष	संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा प्रवेश हेतु चयन बारहवीं कक्षा के प्राप्तांकों की प्रावीण्यता एवं जीवविज्ञान विषय वालों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। प्रावीण्यता प्रथमतः कुल प्राप्तांक यदि समान प्राप्तांक है तो बारहवीं के जीवविज्ञान के अधिकतम अंक प्रावीण्यता निर्धारित करेंगे। दोनों समान होने पर वरिष्ठ आयु को प्राथमिकता दी जायेगी।

शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों को निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में प्रवेश तभी दिया जायेगा, जब शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय की सभी सीटें (सेवारत अभ्यर्थी आरक्षित तथा अन्य सीटें) भर जायेगी।

(पांच) सेवारत अभ्यर्थियों के लिए पात्रता :-

नियम 4 (चार) (अ) एवं नियम 4 (चार) (ब) में उल्लेखित पात्रता शर्तों के होते हुए -

- केवल वे सेवारत अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने परीक्षा वर्ष के 30 अप्रैल को नियमित कर्मचारी के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की है।
- ऐसे सेवारत अभ्यर्थी, जिनके विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोजन लम्बित है अथवा जो निलंबित हैं अथवा जिनके विरुद्ध विभागीय जाँच लम्बित है अथवा जिनके विरुद्ध किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही की गई है, प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।
- यदि किसी सेवारत अभ्यर्थी को पूर्व में किसी पाठ्यक्रम में सेवारत अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश दिया गया हो, तो परवर्ती वर्षों में प्रवेश हेतु वे पात्र नहीं होंगे।
- सेवारत अभ्यर्थीगण, संबंधित विभाग के अग्रेषण अधिकारी से नियमानुसार सेवारत अभ्यर्थी की पात्रता हेतु अनुमति स्वयं प्राप्त करेंगे तथा काउंसिलिंग प्रक्रिया के भाग स्कूटनी में वांछित अनुमति होने पर ही पात्र होंगे। अनुमति प्राप्त कर स्कूटनी में प्रस्तुत किया जाना, पूर्णतः अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी।

(छः) प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक एवं प्रावीण्य सूची:-

प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक अर्हकारी प्राप्तांक होंगे तथा आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) हेतु अर्हकारी प्राप्तांक प्रतिशत 15 होगा। प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर मंडल अथवा राज्य शासन द्वारा अधिकृत परीक्षा संस्था योग्यता क्रम सूचियां (मेरिट लिस्ट) श्रेणी अनुसार निर्मित की जायेगी।

(सात) ऐसे निजी नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय, जो कि केन्द्र शासन के द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में संचालित तथा मान्यता प्राप्त हैं। इन नियमों के अंतर्गत प्रावधानिक आरक्षण के अतिरिक्त संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अतिरिक्त आरक्षण निर्धारित किया जा सकेगा, परंतु इस हेतु संबंधित

संस्था को प्रवेश वर्ष की 30 अप्रैल के पूर्व, यथास्थिति, भारत सरकार अथवा राज्य शासन से जारी प्रमाण पत्रों सहित आवेदन, संचालक को प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसी संस्थाएँ, जिन्हें केन्द्र शासन द्वारा स्थायी अल्पसंख्यक संस्थान प्रमाण पत्र जारी किए गये हैं, केवल वे ही पात्र होंगे।

(आठ) इस नियम के किन्हीं प्रावधानों के होते हुए यदि किसी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी का प्रवेश इन नियमों के प्रावधान का उल्लंघन है, तो ऐसे अभ्यर्थी के प्रवेश को संचालक द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

5. सभी पाठ्यक्रम के आरक्षण एवं सीटों का निर्धारण .— सीटों का आरक्षण एवं निर्धारण निम्नानुसार होगा,—

(एक) समस्त शासकीय सीटें एवं शासकीय अनुदान प्राप्त/गैर अनुदान प्राप्त निजी नर्सिंग महाविद्यालय की सभी पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश एवं ओपन (प्रबंधन) नियतांश की सीटें इन नियमों के अंतर्गत आयोजित प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाएंगी। कोई भी निजी संस्था सीधे स्वयं के स्तर पर प्रवेश नहीं ले सकेगी। समस्त प्रवेश हेतु आबंटन के लिये संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति ही अधिकृत होगी। काउंसिलिंग समिति द्वारा जारी आबंटन के अतिरिक्त कोई भी प्रवेश अवैध होगा।

(दो) समस्त शासकीय सीटें एवं शासकीय अनुदान प्राप्त/गैर अनुदान प्राप्त निजी नर्सिंग महाविद्यालय की सभी पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश की सीटों में केवल मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्रावीण्यता (मेरिट) के आधार पर श्रेणीवार/वर्गवार प्रवेश दिया जाएगा तथा प्रबंधन नियतांश (ओपन) सीट की आरक्षित श्रेणी हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जाति प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र होंगे तथा अनारक्षित श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य मूल निवासी एवं अन्य राज्य के अभ्यर्थी प्रावीण्यतानुसार आबंटन प्राप्त कर सकेंगे।

(तीन) शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय संस्थाओं की जी.एन.एम./बी.एस.सी./बी.एस.सी. (पोस्ट बेसिक)/पोस्ट बेसिक डिप्लोमा की उपलब्ध सीटों में 20 प्रतिशत सीटें एवं शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय की एम0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम की उपलब्ध सीटों में 50 प्रतिशत सीट, सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगी, जो निम्न प्रकार से पात्रता एवं आवंटित की जाएंगी,—

(अ) शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों को निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में प्रवेश तभी दिया जाएगा, जब शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों/विद्यालयों की सीटें भर जाएंगी। अर्थात् सेवारत अभ्यर्थी सभी शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय का विकल्प अपनी प्राथमिकतानुसार चयन करने के उपरांत ही निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय का विकल्प भर सकेंगे।

(ब) यदि कोई सेवारत अभ्यर्थी शासकीय संस्था में आबंटन प्राप्त करता है तथा प्रवेश नहीं लेता है, तो वह पूरे सत्र हेतु अपात्र हो जायेगा। अर्थात् उस सत्र की प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो सकेगा।

(स) यदि संबंधित विभाग से वांछित अनुमति के अभाव में, उपरोक्त बिन्दु क्रमांक (ब) के अनुसार प्रवेश नहीं लेने के कारण अपात्र हो गये हैं, तो संचालक चिकित्सा शिक्षा को आवेदन कर, अनुमति प्राप्त कर मापअप राउण्ड में, केवल शासकीय महाविद्यालय/विद्यालय की सीटों हेतु ही पात्र एवं सम्मिलित हो सकेंगे, अर्थात् निजी महाविद्यालयों/विद्यालयों के लिये अपात्र होंगे।

(चार) नर्सिंग के स्नातकोत्तर डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में राज्य के समस्त शासकीय संस्थाओं की सीटों में 50 प्रतिशत सीट सेवारत अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगी।

(पांच) शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों की समस्त सीटें एवं ऐसे निजी महाविद्यालय/विद्यालय, जो कि केवल महिला महाविद्यालय/विद्यालय हैं, उनकी सीटों में केवल महिला अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

(छ) निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु 40 प्रतिशत सीटें "शासकीय नियतांश" की एवं शेष 60 प्रतिशत सीटें "ओपन सीटें" (प्रबंधन सीटें) होगी। अल्पसंख्यक निजी नर्सिंग महाविद्यालयों में यह 70 प्रतिशत "ओपन सीटें" (प्रबंधन सीटें) तथा शेष 30 प्रतिशत शासकीय नियतांश की सीटें होंगी। माननीय सर्वोच्च

न्यायालय दिल्ली के WP(Civil) No. 267/2017 DAR-US-SLAM Educationl trust and others Vs Medical Council of India and others के अनुसार अल्प संख्यक संस्था के 70 प्रतिशत ओपन (प्रबंधन सीट) में अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के आपसी प्रावीण्यतानुसार प्रवेश दिया जा सकेगा तथा शासकीय नियतांश की 30 प्रतिशत सीटों में किसी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं होगा। अतः स्पष्ट है कि वर्णित सीटों में कोई आरक्षण लागू नहीं होने के कारण (छ0ग0 शासन के आरक्षण अधिनियम, 2012) सीटों के परिवर्तन के कोई नियम इसमें लागू नहीं होंगे। अर्थात् सीटें अपरिवर्तनीय होंगी।

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय सहित, निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय की शासकीय नियतांश एवं ओपन सीटों में संस्थावार अर्थात् प्रत्येक संस्था में पृथक-पृथक राज्य में लागू आरक्षण नियम प्रतिशत श्रेणीवार (अनुसूचित जनजाति 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 12 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत) एवं प्रत्येक श्रेणी में संवर्गवार (महिला 30 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 03 प्रतिशत, सैनिक संवर्ग 03 प्रतिशत एवं विकलांग 05 प्रतिशत) क्षैतिज आरक्षण लागू होगा तथा एम.एस.सी. नर्सिंग में विभिन्न विषय होने के कारण आरक्षण हेतु सीटों का निर्धारण लॉटरी (Lottery) से किया जायेगा।

नोट:- उपरोक्त आरक्षण में केवल महिला महाविद्यालय/विद्यालय में श्रेणीवार पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रतिशत, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार होगा। यह आरक्षण नियम सभी शासकीय नर्सिंग विद्यालयों/महाविद्यालयों तथा निजी नर्सिंग विद्यालयों/महाविद्यालयों के शासकीय नियतांश एवं ओपन (प्रबंधन) नियतांश की सीटों के लिए लागू होंगे।

(सात) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी होने का दावा करने वाले सभी अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग की स्कूटनी के समय छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, तदुपरांत ही वे आरक्षण का लाभ ले सकेंगे।

(आठ) पाठ्यक्रम की उपलब्ध सीटों में संस्थावार अर्थात् प्रत्येक संस्था में, सभी श्रेणियों में सैनिक संवर्ग के लिए 03 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग हेतु 03 प्रतिशत, विकलांग संवर्ग हेतु 05 प्रतिशत एवं महिला संवर्ग 30 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) लागू होगा।

(नौ) शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी के लिए आरक्षित किसी सीट के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी द्वारा काउंसिलिंग के समय आर्बटन से पूर्व स्कूटनी में राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में, उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

(नोट:- केवल राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र ही मान्य किये जायेंगे। जिला/संभागीय मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र काउंसिलिंग में मान्य नहीं किये जायेंगे। राज्य मेडिकल बोर्ड से विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अध्यक्ष, राज्य मेडिकल बोर्ड के समक्ष आवेदक द्वारा जिला अथवा संभागीय मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।)

स्पष्टीकरण :- (1) सैनिक संवर्ग में आरक्षण का लाभ सैनिकों के पुत्र/पुत्री को ही मिलेगा।

स्पष्टीकरण :- (2) सैनिक संवर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गए हों, के लिए सीटें आरक्षित हैं। इस संवर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवारों को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे छत्तीसगढ़ में विस्थापित भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री हैं। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने संबंधी प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, अपने पिता/माता के छत्तीसगढ़ में विस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र, संबंधित जिले के

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव, जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

वह छत्तीसगढ़ में अथवा बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है, जो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है। ऐसे अभ्यर्थियों को अपने माता पिता के छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा कराना/प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अथवा

वह परीक्षा के वर्ष की 01 जनवरी को अथवा उसके पूर्व की तिथि तक छत्तीसगढ़ में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है।

टिप्पणी :- सैनिक संवर्ग के अंतर्गत किसी अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरण :- (3) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग आरक्षण का लाभ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री एवं पौत्र/पौत्री (दादा-दादी अथवा नाना-नानी से संबंध होने पर) को ही मिलेगा। (माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के याचिका क्रमांक 3174/2004, डॉ. घनाराम बनाम छत्तीसगढ़ शासन और अन्य के परिप्रेक्ष्य में)।

स्पष्टीकरण :- (4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिनका नाम छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के कलेक्टोरेट में रखी गई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में पंजीकृत है। इस संवर्ग में उन्हीं अभ्यर्थियों को पात्रता होगी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होंगे।

अथवा

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से भी है, जिनका नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (भले ही वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) के कलेक्टोरेट में रखी गयी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची में पंजीकृत हैं, परन्तु इस संवर्ग के अंतर्गत आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय सेवक, उसकी पत्नी/पति एवं उसकी पुत्र एवं पुत्री को ही दिया जाएगा, जिनके पिता/माता अथवा दादा/दादी अथवा नाना/नानी का नाम अविभाजित मध्यप्रदेश के किसी भी जिले (वे वर्तमान मध्यप्रदेश के जिले हों) को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सूची में पंजीकृत हैं।

स्पष्टीकरण :- (5) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में संवर्ग में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को, संबंधित जिले के कलेक्टोरेट से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र ही अभ्यर्थी का इस संवर्ग में होने संबंधी एकमात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

स्पष्टीकरण :- (6) शारीरिक रूप से निःशक्त (दिव्यांग) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, -शारीरिक रूप से निःशक्त (दिव्यांग) व्यक्तियों के लिए प्रत्येक श्रेणी में पांच प्रतिशत (5%) आरक्षण है। यह क्षैतिज (हॉरिजान्टल) आरक्षण है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 का (द) (घ) एवं (न) के अधीन परिभाषित विनियमों के अनुसार लागू होगा-

1. सबसे पहले सीटों को 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक के बीच निचले अंगों की लोकोमोटर, अशक्तता वाले अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। उपरोक्त उल्लेखित अशक्तता वाले अभ्यर्थियों की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति में, इस प्रकार के नहीं भरे गए सीटों को 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक के बीच निचले अंगों की लोकोमोटर, अशक्तता वाले व्यक्तियों से भरा जाएगा।
2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 का (द) (घ) एवं (न) के अधीन परिभाषित प्रतिमानों के अनुसार निम्नलिखित अशक्तताएँ (दिव्यांगताएँ) पात्र नहीं हैं :-

- 1) ऊपरी अंग दिव्यांगता
 - 2) दृष्टिबाधित दिव्यांगता
 - 3) बधिरीय दिव्यांगता
 - 4) निचले अंग की 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता
 - 5) कौंसिलिंग के समय तीन (3) माह से अधिक पुराना पात्रता प्रमाणपत्र।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का 49) के अनुसार सभी शर्तें लागू होंगी।

6. चयन प्रक्रिया .—

(एक) समस्त शासकीय सीटें एवं शासकीय अनुदान प्राप्त/गैर अनुदान प्राप्त निजी नर्सिंग महाविद्यालय की बी. एस. सी./पोस्ट बेसिक बी. एस. सी./एम. एस. सी. नर्सिंग प्रवेश पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश एवं ओपन (प्रबंधन) नियतांश की सीटों में प्रवेश हेतु चयन के लिए मण्डल अथवा राज्य शासन द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी।

जीएनएम का प्रवेश बारहवीं कक्षा के प्राप्तांक (बायलॉजी ग्रुप ; च्छेद को प्राथमिकता) की प्रावीण्यतानुसार किया जायेगा एवं पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्लिनिकल स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों का प्रवेश बी. एस. सी. एवं जी. एन. एम. के प्राप्तांको की प्रावीण्यतानुसार संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा की जायेगी, जिसमें बी एस सी नर्सिंग को प्राथमिकता दी जायेगी।

(दो) समस्त शासकीय महाविद्यालय की सीटें एवं शासकीय अनुदान प्राप्त/गैर अनुदान प्राप्त निजी नर्सिंग महाविद्यालय की एमएससी नर्सिंग प्रवेश पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश एवं ओपन (प्रबंधन) नियतांश की सीटों में प्रवेश हेतु चयन के लिए विश्वविद्यालय अथवा राज्य शासन द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी तथा उक्त परीक्षा के प्राप्तांक के प्रावीण्यतानुसार आबंटन किया जायेगा।

(तीन) समस्त शासकीय विद्यालय की सीटें एवं शासकीय अनुदान प्राप्त/गैर अनुदान प्राप्त निजी नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय की जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी (जीएनएम) प्रवेश पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश एवं ओपन (प्रबंधन) नियतांश की सीटों में प्रवेश हेतु चयन मेरिट के आधार पर संचालनालय चिकित्सा शिक्षा अथवा निर्धारित एजेंसी द्वारा की जायेगी। जी.एन.एम.पाठ्यक्रम में प्रवेश बारहवीं कक्षा के प्राप्तांको (बायलॉजी ग्रुप (PCB) को प्राथमिकता) को मेरिट क्रम के आधार पर किया जायेगा।

7. परीक्षायें.—

- (एक) बी.एस.सी./ पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नियमित हेतु परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में होगी।
एम.एस.सी. हेतु परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में होगी।
- (दो) प्रवेश परीक्षा :—
प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा में केवल एक प्रश्न-पत्र होगा।

8. परीक्षा परिणाम की घोषणा.—

(एक) परीक्षाफल की घोषणा :— मण्डल अथवा राज्य शासन द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा परीक्षा का आयोजन और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जायेगा तथा प्रावीण्य (मेरिट) सूची तैयार कर परीक्षाफल घोषित किया जाएगा।

योग्य उम्मीदवार को पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में सीट का आबंटन काउंसिलिंग द्वारा प्रावीण्यता (मेरिट) तथा विकल्प के आधार पर किया जायेगा।

(दो) प्रावीण्य सूची.—

(अ) प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी एवं बाहर राज्य के अभ्यर्थियों की प्रावीण्य (मेरिट) सूची तैयार की जाएगी।

(ब) सेवारत अभ्यर्थियों की श्रेणीवार (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) पृथक से मेरिट लिस्ट की घोषणा मण्डल/राज्य शासन के अधिकृत संस्था द्वारा की जाएगी।

(स) सभी श्रेणियों के लिए एकीकृत प्रावीण्य (मेरिट) सूची तथा श्रेणीवार (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों) पृथक-पृथक प्रावीण्य (मेरिट) सूची तैयार की जाएगी, जिसमें रोल नम्बर, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, संवर्ग, अल्पसंख्यक स्थिति, आवेदक का मोबाईल नंबर तथा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक अंकित किए जाएंगे।

(द) समान अंक प्राप्त परीक्षार्थियों की प्रावीण्यता :- जिस उम्मीदवार की आयु अधिक होगी, उसे प्रवेश हेतु प्रावीण्यता सूची में ऊपर रखा जाएगा।

9. **काउंसिलिंग प्रक्रिया.**— राज्य के शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय की सीटें, निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटें एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय ओपन (प्रबंधन) नियतांश की सीटें के नर्सिंग पाठ्यक्रमों की उपलब्ध सीटों में प्रवेश के लिये नियमानुसार तैयार की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर नियमानुसार पात्र अभ्यर्थियों का संचालनालय द्वारा निम्नानुसार ऑनलाइन काउंसिलिंग किया जायेगा —

(एक) उपरोक्त उल्लेखित अनुसार प्रावीण्य सूची घोषित होने के बाद, ऑनलाईन आवेदन, छत्तीसगढ़ राज्य की सीटों हेतु आमंत्रित किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन के समय प्रविष्ट की हुई पात्रता या अन्य कोई भी जानकारी जैसे : मूल निवासी, श्रेणी, संवर्ग, सीटों का प्रकार, महाविद्यालय/विद्यालय चयन (option) इत्यादि अपरिवर्तनीय होंगे। अतः विशेषकर अपनी श्रेणी, संवर्ग चयन करने के पूर्व अपने वांछित प्रारूप में वांछित समयावधि के प्रमाण पत्र का निरीक्षण अवश्य कर लें।

संचालनालय द्वारा दो चरणों में ऑनलाईन काउंसिलिंग/ऑफलाईन काउंसिलिंग की जायेगी, जिसकी समय-सारणी संचालनालय की वेबसाइट पर तत्समय प्रकाशित (घोषित) की जायेगी।

(दो) ऑनलाईन काउंसिलिंग में पंजीयन, प्राथमिकता क्रम का निर्धारण, आबंटन, मूल दस्तावेजों की संवीक्षा व आबंटित सीटों में प्रवेश की प्रक्रिया सम्मिलित होंगी।

(तीन) ऑनलाईन काउंसिलिंग शुल्क के रूप में अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु राशि रुपये 1000/- (रु. एक हजार मात्र) तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति हेतु रुपये 500/- (रु. पांच सौ मात्र) संचालक, चिकित्सा शिक्षा को देय होगी। यदि राज्य के ऑनलाईन आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है, तो ऑनलाईन पंजीयन की अंतिम तिथि के पूर्व संशोधन शुल्क रु. 1000/- जमा कर संशोधन कर सकेंगे। किन्तु निर्धारित समयावधि उपरांत किसी भी प्रकार का परिवर्तन कार्यालय द्वारा नहीं किया जा सकेगा। यद्यपि निर्धारित समयावधि में संशोधन शुल्क जमा कर आवेदक ही परिवर्तन कर सकेंगे।

(चार) ऑनलाईन आवेदन एवं पंजीयन की प्रक्रिया, मात्र प्रथम काउंसिलिंग के पूर्व उपलब्ध होगी। प्रवेश के इच्छुक सभी पात्र अभ्यर्थियों को इस आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर, पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यदि इन पंजीकृत आवेदकों के काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के उपरान्त भी यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो संचालक के निर्णयानुसार नया पंजीयन कराया जा सकेगा। किन्तु इस चरण तक आरक्षण नियमानुसार सभी सीटें परिवर्तित हो चुकी होंगी, अर्थात् सभी शेष सीटें अनारक्षित श्रेणी की ही, उपलब्ध होंगी।

(पांच) ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर, काउंसिलिंग हेतु पंजीयन करने की अंतिम तिथि तक, जो आवेदक पंजीयन कराने में असफल होंगे, वे काउंसिलिंग हेतु स्वयमेव अपात्र हो जायेंगे।

(छः) वेबसाइट पर जारी काउंसिलिंग की समय-सारणी के अनुरूप, अभ्यर्थी को विकल्प भरकर देना होगा। अभ्यर्थी, उपलब्ध समस्त महाविद्यालयों/विद्यालयों का विकल्प क्रमानुसार देने हेतु समर्थ होंगे।

नोट :- अभ्यर्थी केवल एक विकल्प न भरे अपनी इच्छानुसार एकाधिक विकल्प डालें क्योंकि नये विकल्प भरने का अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा तथा सेवारत अभ्यर्थी को सर्वप्रथम सभी उपलब्ध शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय का विकल्प देना होगा तत्पश्चात ही निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय का विकल्प दे सकेंगे।

(सात) एक बार अंतिम हो जाने पर प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन नहीं किया जायेगा, परंतु यदि काउंसिलिंग प्रक्रिया के प्रारंभ होने पूर्व घोषित संस्था के अतिरिक्त अन्य नई संस्था महाविद्यालय/विद्यालय जो कि पूर्व में प्रदर्शित नहीं थे, पंजीयन प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध होते हैं, तो प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा, जिस हेतु संशोधन शुल्क लागू नहीं होगा। इस हेतु पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थियों को ही प्राथमिकता क्रम में परिवर्तन करने की पात्रता होगी, किन्तु नया आवेदन और पंजीयन नहीं किया जायेगा।

(आठ) प्रावीण्य सूची के अनुसार महाविद्यालय/विद्यालय का आबंटन किया जायेगा। जो संचालनालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा, जिसके अनुसार निर्धारित समयावधि में संवीक्षा एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी नियमित रूप से वेबसाइट अवलोकन करें। इस प्रक्रिया में जानकारी लेने में असफल होने की पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

(नौ) आबंटन होने के पश्चात, अभ्यर्थियों को आबंटित संस्था में आबंटन पत्र में उल्लेखित प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजों की संवीक्षा कराना अनिवार्य होगा। आबंटन पश्चात संस्था में संवीक्षा हेतु उपस्थित न होने की स्थिति में, अभ्यर्थी चालू शैक्षणिक सत्र में काउंसिलिंग व प्रवेश प्रक्रिया से स्वमेव बाहर हो जायेगा।

शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, किन्तु निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य नहीं होगा अपितु, सभी आबंटित अभ्यर्थियों को संवीक्षा करवाना तथा संवीक्षा में पात्र होना अनिवार्य है। तथापि आबंटित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे। दस्तावेजों की संवीक्षा में अर्ह होने पर अभ्यर्थी आबंटित शासकीय नर्सिंग संस्था में प्रवेश लेकर काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प दे सकेंगे, जबकि शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय के अतिरिक्त आबंटित निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय तथा संवीक्षा में पात्र अभ्यर्थी, बिना संस्था प्रवेश लिए द्वितीय काउंसिलिंग में बने रहने का विकल्प दे सकेंगे।

काउंसिलिंग या आबंटन प्रक्रिया के किसी भी चरण में समान विषय एवं समान संस्था की सीट, अभ्यर्थी को एक बार आबंटन होने के पश्चात् पुनः दोबारा समान विषय एवं समान संस्था की सीट आबंटित नहीं की जायेगी।

(दस) वे अभ्यर्थी, जो प्रवेश लेने के विकल्प का चयन करते हैं, उन्हें वेबसाइट से आबंटन पत्र का प्रिंट आउट लेकर जारी समय सारणी अनुरूप आबंटित महाविद्यालय में अपनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराना होगा। प्रवेश उपरान्त अभ्यर्थी के पास काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने अथवा अपना प्रवेश स्थायी कर काउंसिलिंग के समस्त आगामी चरणों से बाहर जाने के विकल्प पोर्टल पर चयन कर सकेंगे;

(ग्यारह) :-(1) महाविद्यालय/विद्यालय के द्वारा काउंसिलिंग समिति द्वारा जारी आबंटन उपरान्त, अभ्यर्थी के प्रस्तुत होने पर दस्तावेजों की संवीक्षा कराई जायेगी, जिसमें पात्र अभ्यर्थी ही प्रवेश योग्य होंगे तथा संवीक्षा करने वाले महाविद्यालय/विद्यालय दस्तावेजों की न्यूनता में, यदि अपात्र अभ्यर्थी को पात्र कर, प्रवेश देते हैं, तो विश्वविद्यालय/परिषद पंजीयन/नामांकन हेतु अथवा न्यायालयीन प्रकरण हेतु स्वयं जिम्मेदार होंगे। इस कार्यालय का इस प्रकार के अवैध संवीक्षा एवं अवैध प्रवेश से कोई संबंध नहीं होगा।

- (2) दस्तावेजों की संवीक्षा में अर्ह होने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा;
- (3) यदि उल्लेखित उपरोक्त प्रक्रिया में विफल अर्थात् अपात्र हो जाते हैं, तो वे चालू शैक्षणिक सत्र के लिये, प्रवेश प्रक्रिया से अपात्र घोषित कर दिये जायेंगे;
- (4) समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए, निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि की अवधि में अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा तथा एतद्वारा आबंटित महाविद्यालय/विद्यालय में प्रवेश लेना होगा।
- (5) अपग्रेड हो कर महाविद्यालय/विद्यालय परिवर्तन होने की स्थिति में प्रथम चरण काउंसिलिंग द्वारा आबंटित महाविद्यालयों के शिक्षण शुल्क के अंतर की राशि (कम/अधिक) यथा स्थिति क्रमशः अभ्यर्थी को सौंप दी जायेगी अथवा अभ्यर्थी से ली जायेगी। शासकीय संस्था हेतु शेष राशि पूर्व प्रवेशित संस्था

द्वारा नवीन आबंटित संस्था को अंतरित कर दी जायेगी तथा नियमतः प्रोसेसिंग फीस शिक्षण शुल्क की 10 प्रतिशत राशि कटौती की जायेगी।

काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को, प्रावीण्य सूची के अनुक्रम में, पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय/विद्यालय का द्वितीय चरण में आबंटन किया जायेगा, तथा प्रथम चरण में काउंसिलिंग में आबंटन उपरान्त प्रवेशित छात्र, जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प भरा हो, केवल वे ही, द्वितीय काउंसिलिंग में अपग्रेडेशन प्राप्त कर सकेंगे एवं अपग्रेडेशन में आबंटित विषय एवं संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, क्योंकि अपग्रेडेशन प्रक्रिया में जिस आवेदक को अपग्रेड कर नया विषय और संस्था आबंटित की जाती है, तत्क्षण ही उसकी प्रथम काउंसिलिंग की सीट रिक्त मानी जाती है तथा प्रावीण्यतानुसार अगले अभ्यर्थी को आबंटित कर दी जाती है, अतः पूर्व में प्रथम काउंसिलिंग में आबंटित विषय और संस्था में बने नहीं रह सकते हैं।

शासकीय/निजी संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थी संस्था से द्वितीय काउंसिलिंग हेतु निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि पूर्व सीट का परित्याग करता है, तो जमा की गई शुल्क में से आदेशिका शुल्क (प्रोसेसिंग फीस) के रूप में शिक्षण शुल्क की 10 प्रतिशत राशि काटकर, शेष राशि अभ्यर्थी को लौटा दी जायेगी, किन्तु शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय की सीट का परित्याग करने पर, आगामी प्रवेश प्रक्रिया हेतु वे अपात्र होंगे।

(बारह):-द्वितीय चरण की काउंसिलिंग भी ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा की जायेगी, जिसमें प्रथम काउंसिलिंग आबंटन उपरान्त संवीक्षा करा पात्र अभ्यर्थी, प्रवेश न ले कर नियम 9 (दस) को पालित करते हुए काउंसिलिंग प्रक्रिया में बने रहने का विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों को, प्रावीण्य सूची के अनुक्रम में, पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय/विद्यालय का द्वितीय चरण में आबंटन किया जायेगा तथा प्रथम चरण में काउंसिलिंग में आबंटन उपरान्त प्रवेशित छात्र, जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प भरा हों, केवल वे ही, द्वितीय काउंसिलिंग में अपग्रेडेशन प्राप्त कर सकेंगे तथा प्राविण्यतानुसार पूर्व से पंजीकृत अनाबंटित अभ्यर्थी भी द्वितीय काउंसिलिंग में पात्र होंगे।

(तेरह):- प्रथम ऑनलाईन काउंसिलिंग में आबंटन उपरान्त संस्था में प्रवेशित छात्र केवल द्वितीय ऑनलाईन काउंसिलिंग में ही अपग्रेडेशन के पात्र रहेंगे।

द्वितीय काउंसिलिंग में आबंटन उपरान्त संस्था में प्रवेशित छात्र भविष्य में होने वाली काउंसिलिंग अथवा अंतिम आबंटन में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे तथा द्वितीय काउंसिलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी, संस्था में द्वितीय काउंसिलिंग आबंटन के पश्चात् निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त प्रवेश निरस्त करने हेतु उल्लेखित निर्धारित बॉण्ड की राशि का भुगतान करने की बाध्यता होगी।

(चौदह):- द्वितीय चरण के काउंसिलिंग द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि तक रिक्त रह गई सीटों के लिए अंतिम प्रवेश प्रक्रिया (Mop Up Round) ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रत्यक्ष काउंसिलिंग आवश्यकतानुसार की जायेगी।

द्वितीय चरण काउंसिलिंग में नर्सिंग पाठ्यक्रम में आबंटन उपरान्त प्रवेशित छात्र द्वितीय काउंसिलिंग की निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त सीटों का परित्याग नहीं कर सकेंगे।

उक्त निर्धारित तिथि उपरान्त सीटों का परित्याग करने पर अभ्यर्थी को बॉण्ड की राशि की क्षतिपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

(पन्द्रह):- अंतिम आबंटन प्रवेश प्रक्रिया (Mop-up) प्रत्यक्ष (ऑफ-लाईन)/ऑन-लाईन होगी, जिसमें राज्य के शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय की सीटें, निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय के शासकीय नियतांश की सीटें, निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय प्रबंधन नियतांश की रिक्त सीटें सम्मिलित की जाएगी। "अंतिम प्रवेश प्रक्रिया" में पूर्व से पंजीकृत अनाबंटित/अप्रवेशित अभ्यर्थी केवल नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। (किन्तु जिन्हें पूर्व में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में सीटें आबंटित की गई किन्तु प्रवेश नहीं लिया वे अपात्र होंगे)

उपरोक्तानुसार पात्र अभ्यर्थी ही अंतिम आबंटन एवं प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे, इस प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा अधिकार पत्र (Authority Letter) मान्य नहीं किया जायेगा।

अंतिम आबंटन में प्रवेशित छात्र सीटों का परित्याग नहीं कर सकेंगे तथा सीट का परित्याग करने हेतु उन्हें नियमानुसार लागू बॉण्ड की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।

(सोलह):- काउंसिलिंग या आबंटन प्रक्रिया को किसी भी चरण में समान विषय एवं समान संस्था की सीट अभ्यर्थी को एक बार आबंटन होने के पश्चात् पुनः दोबारा समान विषय एवं समान संस्था की सीट आबंटित नहीं की जायेगी।

(सत्रह):- संचालक द्वारा प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन कर अथवा संचालनालय की वेबसाइट पर सूचना के माध्यम से सफल/पात्र अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग हेतु उनके स्वयं के व्यय पर आमंत्रित किया जाएगा। सूचना प्राप्त नहीं होने पर, अभ्यर्थी स्वयं संचालक के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा सूचना या जानकारी न मिलने की स्थिति में संचालनालय जिम्मेदार नहीं होगा।

नोट:-सभी पंजीकृत आवेदक काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से प्रतिदिन कार्यालय की वेबसाइट www.cgdme.co.in का अवलोकन करें, चूंकि अंतिम आबंटन प्रक्रिया हेतु सूचना एवं अंतिम आबंटन तिथि हेतु अल्पावधि का समय होता है, अतः समस्त सूचना वेबसाइट के माध्यम से देना ही, अल्प समय में संभव हो पाता है। जिस हेतु आवेदक नियमित प्रतिदिन वेबसाइट का अवलोकन करें।

(अठारह):- पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्लीनिकल स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों की सीटों में प्रवेश हेतु समस्त चरणों के लिये आवश्यकतानुसार ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन (प्रत्यक्ष) काउंसिलिंग प्रक्रिया आयोजित की जायेगी।

(उन्नीस):- काउंसिलिंग एवं पात्रता संबंधी निर्देश, पृथक से संचालक द्वारा विवरणिका के रूप में प्रकाशित किये जायेंगे, जो संचालनालय के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है, कि वे अपनी पात्रता के संबंध में तथा काउंसिलिंग प्रक्रिया के संबंध में विवरणिका का भली-भांति अवलोकन कर ही, ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रक्रिया प्रारंभ करें, क्योंकि ऑनलाईन आवेदन के अंतिम होने के उपरान्त कोई भी परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा।

(बीस):- (अ) काउंसिलिंग की संवीक्षा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची :-

1. प्रवेश परीक्षा प्रवेश पत्र (यदि लागू हो तो)
2. प्रवेश परीक्षा अंक सूची (यदि लागू हो तो)
3. कक्षा 10वीं की अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र (आयु हेतु)
4. कक्षा 12वीं की अंकसूची
5. छत्तीसगढ़ राज्य वास्तविक निवासी प्रमाण पत्र
6. छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
7. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र सहित विगत तीन वर्षों का आय प्रमाण पत्र (जो कि शासकीय/केन्द्र शासन के कार्यालय का फार्म-16 अथवा तहसील कार्यालय से जारी किया गया हो)
8. संवर्ग सैनिक/दिव्यांगजन (विकलांग)/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेतु परिशिष्ट अनुसार प्रमाण पत्र (नोट : विकलांग हेतु अवधि एवं जारी करने वाले कार्यालय परिशिष्ट अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य है) (यदि लागू हो तो)

(ब) संवीक्षा उपरान्त महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज सूची एवं शुल्क:-

1. आबंटन पत्र
2. पाठ्यक्रम छोड़ने का बंध पत्र (ब्रेकेज बॉण्ड) (शासकीय नर्सिंग पाठ्यक्रम में ही लागू)
3. ट्रान्सफर सर्टिफिकेट/ट्रान्सफर सर्टिफिकेट मय चरित्र प्रमाण पत्र
4. चरित्र प्रमाण पत्र (स्कूल/महाविद्यालय/राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी)

5. माईग्रेसन सर्टिफिकेट (यदि अन्य विश्वविद्यालय का छात्र है तो शपथ पत्र सहित समय प्रदान किया जा सकेगा)
6. गेप सर्टिफिकेट (Gap Certificate) (यदि लागू हो तो)
7. आधार कार्ड/अन्य मान्य फोटो परिचय पत्र (जैसे : स्कूल अथवा महाविद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र/ड्रायविंग लाईसेंस/पासपोर्ट)
8. पासपोर्ट साईज कलर अथवा ब्लैक एण्ड व्हाइट फोटो 04 प्रति, जो कि एक ही निगेटिव से बनी हो
9. शुल्क – (एक) शिक्षण शुल्क
(दो) नॉन-गवर्मेन्ट शुल्क,

उपरोक्त सभी दस्तावेजों की स्वयं अभिप्रमाणित दो सेट फोटो कॉपी लाना आवश्यक है। अंतिम आबंटन प्रवेश प्रक्रिया में समान दिवस पर आबंटन एवं प्रवेश दिया जाता है तथा महाविद्यालय प्रवेश के समय अभ्यर्थी, उपरोक्त (अ) एवं (ब) दोनों दस्तावेज एवं शुल्क प्रस्तुत करने पर ही पात्र होंगे तथा अंतिम आबंटन में (अ) एवं (ब) के दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद आबंटन पत्र जारी किया जाता है।

(इक्कीस):- काउंसिलिंग के दौरान शासकीय/निजी क्षेत्र के नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय की उन्हीं सीटों पर आबंटन किया जायेगा, जिन्हें इंडियन नर्सिंग कौंसिल/राज्य नर्सिंग कौंसिल से लागू सत्र के लिए प्रवेश अनुमति प्राप्त हो चुकी है तथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता/निरंतरता प्राप्त हो चुकी हो।

(बाईस):- संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा मनोनित काउंसिलिंग समिति, आबंटन एवं काउंसिलिंग कार्य हेतु अधिकृत होगी। काउंसिलिंग समिति द्वारा प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित पात्र, प्रावीण्यतानुसार आबंटित अभ्यर्थी ही, स्कूटनी में पात्र होने पर, संस्था में प्रवेश ले सकेंगे।

नोट:- कोई भी संस्था सीधे प्रवेश नहीं ले सकेगी, इस प्रकार के लिये गये प्रवेश अवैध होंगे।

(जिस हेतु निजी संस्था डायरेक्टर, शपथ-पत्र, संचालक चिकित्सा शिक्षा को प्रस्तुत करेंगे)

(तेईस):- काउंसिलिंग समिति के अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेशों का सभी अभ्यर्थियों/संस्था को पालन करना अनिवार्य होगा, अनुशासनहीनता अथवा काउंसिलिंग प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों/संस्था को काउंसिलिंग के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जिस हेतु अध्यक्ष काउंसिलिंग समिति के सदस्यों से बहुमत प्राप्त कर ही, अयोग्य घोषित करने की कार्यवाही कर सकेगा।

(चौबीस):- अभ्यर्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रतीक्षा/जांच कक्ष/काउंसिलिंग कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(पच्चीस):- ऑनलाईन/ऑफलाईन काउंसिलिंग समिति द्वारा जारी आबंटन पश्चात् निजी/शासकीय संस्था प्रथमतः स्कूटनी कर, स्कूटनी में पात्र अभ्यर्थी को प्रवेश देगी तथा प्रवेश पश्चात् जारी ऑनलाईन एडमिशन रिसीप्ट (Online Admission Receipt Generate) प्राप्त करेगी।

जिन अभ्यर्थियों का ऑनलाईन एडमिशन रिसीप्ट (Online Admission Receipt Generate) जारी होगा, वे ही प्रवेशित मान्य होंगे। इसके अभाव में कोई भी दर्शाया हुआ प्रवेश अवैध होगा।

10. आरक्षित सीटों का अन्य आरक्षित श्रेणी/अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन/अंतरण.-

- (1) किसी भी आरक्षित श्रेणी की शेष रह गई सीटों के लिये उस श्रेणी के अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, उन सीटों को छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2012 (क्रं.9 सन् 2012) के प्रावधानों के अनुसार परिवर्तित/अंतरित किया जायेगा।
- (2) किसी भी श्रेणी के संवर्ग में पात्र अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, उक्त मूल श्रेणी के "बिना संवर्ग" में परिवर्तित किया जायेगा।
- (3) संवर्ग/श्रेणी परिवर्तन की प्रक्रिया में संवर्ग परिवर्तन पहले होगा, फिर श्रेणी परिवर्तन होगा।
- (4) यदि आरक्षित श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो रिक्त सीटों को उपरोक्त 10 (1) नियम अनुसार अन्य श्रेणियों में परिवर्तित किया जायेगा।

उदाहरणस्वरूप: यदि अनुसूचित जनजाति श्रेणी की "सैनिक संवर्ग" की सीट रिक्त रह जाती है, तो प्रथमतः उसके संवर्ग में परिवर्तन होगा और परिवर्तित हो कर, वह सीट "बिना संवर्ग" की सीट हो जायेगी, इस प्रकार वह सीट अनुसूचित जनजाति श्रेणी की "बिना संवर्ग" की सीट में परिवर्तित हो जायेगी।

यदि अनुसूचित जनजाति श्रेणी की "बिना संवर्ग" की सीट रिक्त रह जाती है, तो उसकी श्रेणी में परिवर्तन किया जायेगा, जिससे वह अनुसूचित जाति के "बिना संवर्ग" की सीट में परिवर्तित हो जायेगी। इससे स्पष्ट है कि किसी भी "संवर्ग" की सीट पहले "बिना संवर्ग" में परिवर्तित होगी, उसके पश्चात् ही उसका श्रेणी परिवर्तन नियमतः होगा।

11. **शासकीय नियतांश की सीटों का ओपन (प्रबंधन) नियतांश सीटों में परिवर्तन.**— शासकीय नियतांश की सीटें यदि द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के पश्चात् रिक्त रह जाती है, तो उन्हें राज्य कोटे की द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् ओपन (प्रबंधन) नियतांश की सीटों में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

12. **राज्य शासन के अधीन शासकीय नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी हेतु बंध पत्र (बॉण्ड).**—

(अ) छत्तीसगढ़ राज्य के नर्सिंग पाठ्यक्रम शासकीय महाविद्यालय/शासकीय विद्यालय में प्रवेश हेतु नियमानुसार अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु रु. 30,000/— (रु. तीस हजार मात्र) तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु रु. 15,000/— (रु. पन्द्रह हजार मात्र) का बंध पत्र (बॉण्ड) निष्पादित करना होगा, जो कि निर्धारित प्रवेश तिथि उपरांत पाठ्यक्रम के मध्य में सीट का परित्याग करने की स्थिति में उपरोक्त बॉण्ड की राशि देय होगी।

(ब) (1) सेवारत अभ्यर्थियों के नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु बंधपत्र (बॉण्ड).—

इन नियमों के तहत नर्सिंग पाठ्यक्रम में यदि कोई सेवारत अभ्यर्थी प्रवेश प्राप्त करता है, तो निम्नानुसार बंधपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा:—

अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो वर्ष की अनिवार्य सेवा करना आवश्यक होगा।

अन्यथा अभ्यर्थी से पाठ्यक्रम के दौरान शासन द्वारा अभ्यर्थी के लिए किये गये शिष्यवृत्ति/छात्रवृत्ति/वेतन इत्यादि की राशि वसूली अनिवार्य रूप से की जा सकेगी।

(2) सेवारत अभ्यर्थी के पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद विभाग में लौटना.—

भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी को अपने मूल विभाग में वापस लौटना होगा, चाहे परीक्षा के परिणाम की स्थिति कुछ भी हो अर्थात् उत्तीर्ण हों अथवा नहीं। किसी भी स्थिति में अध्ययन को जारी रखने के लिए अवधि के विस्तार की मंजूरी प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसे सेवारत अभ्यर्थी जो इन नियमों के अधीन चयनित हुए हैं एवं जिन्होंने पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है पाठ्यक्रम की अवधि में अध्ययन अवकाश आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा पात्रता के आधार पर नियमानुसार स्वीकृत किया जाएगा।

13. **प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् नर्सिंग पाठ्यक्रम के मध्य अवधि में सीट परित्याग करने हेतु अर्थदण्ड बंधपत्र.**— द्वितीय काउंसिलिंग के प्रवेश की अंतिम तिथि/अंतिम आबंटन के प्रवेश उपरान्त उपरोक्त विवरणिका में उल्लेखित नियमानुसार सीट के परित्याग पर नर्सिंग पाठ्यक्रम के मध्य में सीट का परित्याग करने की स्थिति में क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए राशि रुपये 30,000/— (रुपये तीस हजार मात्र) एवं आरक्षित श्रेणी की अभ्यर्थी के लिए राशि रुपये 15,000/— (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) होगी। (केवल शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में लागू होगी) विशेष परिस्थिति में यदि पाठ्यक्रम के दौरान कोई पूर्व में पात्र मेडिकली फिट छात्र यदि मेडिकली अनफिट (Medically Unfit) हो जाता है, जिसे राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा पाठ्यक्रम हेतु अनफिट बताया जाता है, तो बंधपत्र (बॉण्ड) राशि में छूट शासन द्वारा दी जा सकेगी, जिसका नियमतः प्रकरण बनाकर संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा बॉण्ड राशि में छूट हेतु शासन की अनुमति प्राप्ति हेतु प्रेषित किया जायेगा।

14. **प्रवेश रद्द करना.**— यदि यह पाया जाए कि कोई अभ्यर्थी किसी महाविद्यालय में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी गलती या चूक वश प्रवेश मिल गया है, तो अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश महाविद्यालय प्रमुख द्वारा उसके अध्ययन काल के दौरान स्वतः बिना किसी सूचना के रद्द किया जा सकेगा। संस्था प्रमुख के निर्णय से असंतुष्ट होने पर कार्यालय संचालक, चिकित्सा शिक्षा में अपील कर सकेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका की स्थिति में, अपीलीय अधिकारी संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सभी संबंधित लोगों पर बंधनकारी होगा।
15. ऑन लाईन/ऑफ लाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया में संचालक, चिकित्सा शिक्षा आवश्यक होने पर, अपने विवेकानुसार परिवर्तन हेतु अधिकृत होंगे तथा समय-समय पर उनके द्वारा जारी किये गये निर्देश समिति/संस्था/अन्य सभी संबंधितों को पालन किया जाना बंधनकारी होगा।
16. केन्द्र शासन द्वारा अथवा राज्य शासन अथवा भारतीय उपचर्या परिषद अथवा राज्य उपचर्या परिषद अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा काउंसिलिंग तिथि, प्रक्रिया, न्यूनतम अर्हकारी प्राप्तांक, शुल्क इत्यादि अन्य संबंधित जारी किये गये आदेश एवं निर्देश समयावधि में प्राप्त होने पर लागू किये जायेंगे।
17. **कठिनाइयों का निराकरण.**— इन नियमों से संबंधित किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में, राज्य शासन उसके निराकरण हेतु आदेश जारी कर सकेगा।
18. **नियमों की व्याख्या.**— प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय करने के लिए राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी होगा। प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।
19. **संशोधन.**— राज्य शासन इन नियमों में समय-समय पर संशोधन कर सकेगी।
20. **प्रावीण्य सूची की समाप्ति.**— उपचर्या परिषद द्वारा उक्त शैक्षणिक सत्र हेतु प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि पश्चात् प्रावीण्य सूची समाप्त हो जायेगी एवं रिक्त सीट/सीटें कालातीत हो जायेंगी।
21. **निरसन.**— इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से “छत्तीसगढ़ के शासकीय नर्सिंग विद्यालयों एवं महाविद्यालय के स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की समस्त सीटें तथा निजी नर्सिंग एवं विद्यालयों महाविद्यालयों के स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के नियम” से संबंधित पूर्व के समस्त नियम निरसित हो जाएंगे, तथापि उन नियमों के अन्तर्गत की गई प्रक्रिया मान्य होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका शुक्ला, संयुक्त सचिव.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 फरवरी 2022 — माघ 13, शक 1943

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 जनवरी 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-01/2019/नौ/55-4.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियम में :—

नियम-4 के उप-नियम (तीन)—आयु सीमा में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

“(अ) अधिकतम आयु— भारतीय उपचर्या परिषद्/राज्य उपचर्या परिषद् नियम अधिकतम आयु 35 वर्ष कर दी गई है। उन पाठ्यक्रमों को निर्धारित करने के लिए अन्य पाठ्यक्रमों में कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।” प्रस्थापित किया जाये।

(ब) का लोप किया जाता है।

नोट:— आयु गणना हेतु प्रवेश वर्ष के 31 दिसम्बर दिनांक पर आयु गणना मान्य होगी।

स्पष्टीकरण :— 1 एवं 2 का लोप किया जाता है।

नियम-4 के उप-नियम (चार) में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें:—(भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली/राज्य उपचर्या परिषद् के समय-समय पर जारी संशोधित मापदण्ड पाठ्यक्रम अवधि इत्यादि मान्य एवं लागू होंगे।)

के स्थान पर

“जिन पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली/राज्य उपचर्या परिषद् द्वारा निम्नलिखित न्यूनतम अर्हकारी अंक निर्धारित होंगे उन पाठ्यक्रमों के लिए वे निर्देश लागू होंगे” प्रतिस्थापित किया जाये।

नियम-4 के उप-नियम (चार) के पश्चात् निम्नानुसार नियम जोड़ा जाए:—

(1) "अन्य पाठ्यक्रमों के लिए अरक्षित श्रेणी (अज. अ.ज.ज.अन्य पिछड़ा वर्ग) हेतु प्रवेश परीक्षा न्यूनतम अर्हताकारी अंक 15% होगा, एवं अनारक्षित श्रेणी हेतु न्यूनतम अर्हताकारी अंक 20% होगा"

नियम-4 के उप-नियम (छः)-प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक एवं प्रावीण्य सूची:-

"प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक अर्हकारी प्राप्तांक होंगे तथा आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) हेतु अर्हकारी प्राप्तांक प्रतिशत 15 होगा" का लोप किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव.